



# शाहजहाँपुर पुलिस



**प्रेस नोट दि0- 27.08.24**

**थाना रोजा पुलिस द्वारा लूट/ छेडखानी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्री बी.एस.वीर कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना रोजा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18/8/2024 को ग्राम जमुही मोड बाईपास रोड पर मे हुई छेडखानी व लूट की घटना के संबध मे पंजीकृत मु0अ0सं0 504/24 धारा 76/115(2)/309(4)/317(2)/317(2) बीएनएस मे अभियुक्त निहाल पुत्र मो0 नवी निवासी मोहल्ला वाजीदखेल थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 27.08.2024 को रोजा पुलिस द्वारा अटसलिया ओवर ब्रिज के नीचे स्थित शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त :-**

1. निहाल पुत्र मो0 नवी निवासी मोहल्ला वाजीदखेल थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग :-**

मु0अ0सं0 504/24 धारा 76,115(2),309(4),61(2) बीएनएस

**गिरफ्तार पूछताछ :-**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि दिनांक 17/8/24 को जो घटना आटो मे पीड़िता पूजा के साथ घटित हुई उस दिन मै भी उसी आटो मे मौजूद था हम लोग अन्टा चौराहे पर बैठकर नेशनल हाइवे होते हुए जमुका गुरी और रोजा होते हुए बरेली मोड़ काशीराम कालोनी पहुँचे थे वहाँ पर हम लोगो ने दो शराब की बोतले खरीदी थी जो हम लोगो ने बैठकर पी थी कुछ देर बाद मेरे ही मोहल्ले का रहने वाला सोनू पुत्र राम अवतार पूजा को आटो मे बैठाकर ले कर चला गया साथ मे मै भी हाइवे तक गया था जिस पर सोनू से मैने यह कह दिया था कि यह मेरी जानने वाली है जो करना चाहो कर लेना इसके साथ यह कुछ नहीं कहेगी और मै कुछ दूर चलने के बाद हाइवे पर ही उतर गया था।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री प्रांजल यादव
3. का0 2528 दीप नागर